बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 23 ● अंकः 210 ● नई दिल्ली ● वीरवार 21 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली में बड़ा हादसा: पुराना जर्जर मकान हुआ जमींदोज... तीन मजदूरों की मौत

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है। दरियागंज इलाके में एक मकान जमींदोज हो गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार, मध्य दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार दोपहर 12.14 बजे एक पुराना जर्जर मकान जमींदोज हो गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। बचाव कार्य जारी है। शुरुआत में मलबे से निकालकर तीन लोगों को एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय लोगों का दावा है, मलबे में कुछ और लोग दबे हुए हैं। हादसा दरियागंज के सत्भावना पार्क, घटा मस्जिद, रिंग रोड पर हुआ है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हमला

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी पिछले 24 घंटों से उनके आवास की रेकी कर रहा था और मुख्यमंत्री से मिलने की योजना बना रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी रेकी के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास पर पहुँचा था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनके आवास के पास रात बिताई और जनसभा के दौरान उन पर हमला किया। प्रवेश साहिब सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि अब पता चला है कि वह व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिलने का रास्ता ढूँढने के लिए 24 घंटे से रेकी कर रहा था। उसने शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर तक की रेकी की थी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि कल उसने पास के सिविल लाइंस इलाके में रात बिताई और आज सुबह जब वह आया, तो उसके पास कोई कागजात नहीं थे। ऐसा कोई मामला नहीं था और उसने मिलते ही हमला कर दिया। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसुनवाई के दौरान बिना किसी कड़ी सुरक्षा के रोज़ाना 2000 लोगों से मिलती हैं और उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है और उसके आधार पर आगे की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय बाद दिल्ली को एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोज़ाना अपने घर पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर रही थीं। रोज़ाना दिल्ली-एनसीआर से 1000-2000 लोग आते थे। वह बिना किसी रोक-टोक और सुरक्षा के सभी से मिलती थीं और उनकी समस्याएँ सुनती थीं। आज जो कुछ भी हुआ है, वह बेहद निंदनीय है। हमने अभी-अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। वह घायल हो गई हैं और उनकी एमएलसी चल रही है। पुलिस जाँच कर रही है कि वह व्यक्ति कौन था, उसके दिमाग में क्या था और क्या साज़िश थी। पुलिस अपनी जाँच कर रही है और आपको आगे की जानकारी देगी। इस बीच, दिल्ली के एक अन्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ठीक हैं और आरोपियों ने उनके आवास का वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा कि आरोपी सिर्फ़ सीएम गुप्ता पर हमला करने के इरादे से आए थे और उनके पास जनसुनवाई से संबंधित कोई कागज़ात नहीं थे। उन्होंने कहा, «मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है। हमलावर पिछले 24 घंटों से रेकी कर रहा था। वह रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास पर भी गया था। उसने वहां वीडियो भी बनाए थे...यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह हमला करने के इरादे से आया था; उसके पास जनसुनवाई के कोई कागज़ात नहीं थे। उसके फ़ोन में कल के वीडियो मिले हैं। हमला करने का उसका इरादा साफ़ है...जनसुनवाई जारी रहेगी...दिल्ली के लिए काम जारी रहेगा।

सिर पर चोट; आरोपी गुजरात का, दावा- बंगले की रेकी की, सीसीटीवी में भी दिखा

मानसिक तनाव में था आरोपी, मां ने किया खुलासा

राजेश की मां ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है और पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में रह रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद वह काफी अस्थिर और चिड़चिड़ा रहने लगा था। राजेश के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है-- परिवार रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता है।

पशु प्रेमी के रूप में पहचान, कुत्तों और गायों को खिलाता था खाना

राजकोट में रहने वाले उसके पड़ोसी सुरेशभाई ने बताया कि राजेश को वे पिछले 5-6 वर्षों से जानते हैं और उन्होंने कभी उसे हिंसक या आक्रामक नहीं देखा। वह एक सरल और दयालु व्यक्ति है जो जानवरों से बहुत प्रेम करता था। अक्सर वह सड़कों पर कुत्तों और गायों को खाना खिलाते हुए दिखता था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज था

परिजनो के अनुसार, राजेस, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के आदेश से बेहद आहत हुआ था। उसे लगा कि इससे बेजुबान जानवरों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी मानसिक असंतुलन और आक्रोश के चलते उसने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने की कोशिश की — लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण उसने जनसुनवाई के दौरान आक्रामक रुख अपना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत आरोपी को काबू में ले लिया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और उसके दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की आप ने की निंदा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार, 20 अगस्त को सुबह उस समय हमला हो गया, जब वह अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस की गिरफ्त में सौंप दिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है. हमले के कारण मुख्यमंत्री गुप्ता घायल हो गईं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं हमले की जानकारी सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. दिल्ली की पूर्व सत्ताधारी पार्टी आप ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी कर कहा कि सभ्य समाज और लोकतांत्रिक ढांचे में हिंसा अस्वीकार्य है और हर तरह की हिंसा की निंदा की जानी चाहिए. उन्होंने गुप्ता के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि सभी दलों को इस परंपरा को अपनाना होगा कि किसी भी प्रकार की हिंसा को जायज ठहराना गलत है.

पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता. उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी.

मतभेद और विरोध स्वीकार्य, हिंसा नहीं- केजरीवाल

वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, मगर हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी और मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ होकर जल्द लौटेंगी. इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर आम नागरिकों ने भी मुख्यमंत्री की जल्द स्वस्थ होने

आय से अधिक संपति मामले में मंत्री पेरियासामी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत की कार्यवाही को रोका

नई दिल्ली । आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री और उनके परिवार के खिलाफ विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने 18 अगस्त को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है।पीठ ने कहा कि डिंडीगुल में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत ने पेरियासामी की अपील पर आदेश पारित किया। पेरियासमी ने 28 अप्रैल के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर याचिकाओं पर विशेष अदालत को उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। पेरियासामी पर आरोप है कि उन्होंने 2006 से 2010 के बीच मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी पी सुशीला तथा पुत्रों पी सेंतिलकुमार और पी प्रभु के नाम पर 2.1 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। डीवीएसी ने उनको आरोपमुक्त किये जाने को चुनौती दी और 2018 में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। पेरियासामी वर्तमान डीएमके सरकार में ग्रामीण विकास, पंचायत और पंचायत संघ विभाग संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गौहाटी उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की बैठक 19 अगस्त को हुई। सुप्रीम कोर्ट से जारी सूचना में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 अगस्त, 2025 को हुई बैठक में गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें न्यायमूर्ति बुदी हबुंग और न्यायमूर्ति एन उन्नी कृष्णन नायर (एसआईसी) शामिल हैं। कॉलेजियम ने अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौशिक गोस्वामी को 10 नवंबर से एक वर्ष के नए कार्यकाल के लिए उच्च न्यायलय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की भी सिफारिश की।

आप जितना अधिक अराजकता फैलाएंगे, जनता आपको उतना ही नकारेगी... किरेन रिजिजू का विपक्ष पर निशाना

नई दिल्ली । बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लंबे समय तक स्थगित रही। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) आलोचनाओं का सामना कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने 2024 के लोकसभा चुनाव और बिहार एसआईआर में वोट चोरी का आरोप लगाया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में लगातार हो रहे हंगामे को लेकर विपक्ष की आलोचना की। लोकसभा में बोलते हुए, रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र शुरू होने के बाद से, ये लोग (विपक्ष) लगातार नारे लगा रहे हैं। पिछले तीन दिनों से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के नायक - जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की और भारतीय ध्वज फहराया - को विपक्ष के कार्यों के कारण सम्मानित होने का अवसर भी नहीं दिया गया। यह वास्तव में शर्मनाक है। अपने हमले को और तेज़ करते हुए, किरेन रिजिजू ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार अपने एजेंडे के विधेयकों को चाहे कुछ भी हो पारित करेगी। उन्होंने कहा कि बाहर जाकर देखिए कि आपके कार्यों को कितनी बुरी तरह से देखा जाता है। दुनिया इस पर हँसती है, और अब तो स्कूली बच्चे भी पूछने लगे हैं, «क्या सांसद ऐसे ही व्यवहार करते हैं?» हम सरकार के काम को हर हाल में पारित करवाएँगे। देश और समाज के हित में जो भी काम करने की ज़रूरत है, हम करेंगे, क्योंकि इस देश की जनता ने हमें यह ज़िम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यवधान पैदा करने से केवल विपक्ष, खासकर नए सांसदों को नुकसान होता है। आप जितना ज़्यादा अराजकता फैलाएँगे, जनता आपको उतना ही पूरी तरह से नकार देगी। एक बार फिर, मैं आप सभी से चर्चा में भाग लेने का आग्रह करता हूं। इस बीच, ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सोशल गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने तथा इस क्षेत्र के समन्वित नीतिगत समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान करने वाला एक विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया।

डीयू प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, जल्द हो सकती है बर्खास्तगी

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के प्रोफेसर पर नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं. विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने लंबी जांच के बाद अब प्रोफेसर को सेवा से हटाने की सिफारिश की है. अंतिम फैसला उपकुलपति की मंजूरी पर टिका है. पीड़ित छात्रा ने पिछले वर्ष दिसंबर में आईसीसी को लिखित शिकायत दी थी. आरोप सामने आते ही समिति ने प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से कॉलेज से दूर रहने और छात्रों से संपर्क न करने का आदेश दिया था .समिति का कहना था कि इस कदम से जांच निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से आगे बढ़ सकेगी. जनवरी 2025 में मामला और गरमाया, जब छात्र संगठनों ने पूरे दिन कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया. AISA, SFI और ABVP जैसे संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रशासन लंबे समय से इस प्रोफेसर के खिलाफ आई शिकायतों को दबाता रहा है. दबाव बढ़ने के बाद प्रोफेसर को अपने अतिरिक्त प्रशासनिक पदों से इस्तीफा देना पड़ा. उसी महीने कॉलेज प्रशासन ने पुष्टि की कि उसे छह सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है. यह भी सामने आया कि आरोपित प्रोफेसर पर इससे पहले भी तीन शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं. 2016, 2020 और 2023 में छात्राओं ने उसके अनुचित व्यवहार पर आपत्ति जताई थी, लेकिन हर बार मामले बिना ठोस कार्रवाई के रफा-दफा कर दिए गए. छात्र संगठनों का कहना है कि यह संस्थागत लापरवाही है. इस बार नाबालिग छात्रा से जुड़ा मामला सामने आते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई. प्रोफेसर पर POCSO और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. हालांकि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस सूत्र बताते हैं कि जल्द ही पूछताछ की जाएगी और कॉलेज प्रशासन से सभी जरूरी दस्तावेज लिए जा रहे हैं. आईसीसी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद साफ कहा है कि प्रोफेसर को सेवा में बने रहने देना छात्रों और संस्थान दोनों के लिए खतरनाक होगा. समिति ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है. अब मामला उपकुलपति के पास है, जो दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद अंतिम आदेश देंगे. छात्र संगठनों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक छात्रा की शिकायत का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता का भी है. उनका आरोप है कि पहले की तरह अगर इस बार भी मामला दबा दिया गया तो यह छात्रों के भविष्य और सुरक्षा दोनों के साथ खिलवाड़ होगा. इस मामले में उपकुलपति बर्खास्तगी को मंजूरी देते हैं तो यह विश्वविद्यालय में एक अहम मिसाल होगी. इससे न सिर्फ पीड़ित छात्रा को न्याय मिलेगा, बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि बार-बार शिकायतों को दबाने की प्रवृत्ति को अब बर्दाश्त

राज्यपाल-सरकार रिश्ते पर सुप्रीम नजर; अदालत ने पूछा- संविधान निर्माताओं का सपना, हकीकत से कितना दूर?

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आजादी के बाद से देश ने संविधान निर्माताओं की उस उम्मीद पर खरा उतरा है, जिसमें राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य और आपसी परामर्श की व्यवस्था की कल्पना की गई थी। यह टिप्पणी पांच जजों की संविधान पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस बीआर गवई कर रहे हैं। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिम्हा और ए. एस. चंद्रचूड़कर भी शामिल हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से पेश होकर कहा कि संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियों को लेकर गहन बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि अक्सर आलोचना होती है कि राज्यपाल का पद राजनीतिक शरण लेने वालों का ठिकाना है, लेकिन असल में यह पद संवैधानिक जिम्मेदारियों और कुछ निश्चित शक्तियों से जुड़ा हुआ है। पीठ राष्ट्रपति के उस राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह निर्देश दे सकता है कि वे राज्य विधानसभाओं से पास हुए बिलों पर तय समय सीमा के भीतर फैसला लें। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अटॉर्नी जनरल से यह पूछा था कि आखिर क्यों कई राज्यों के विधानसभा से पास हुए बिल साल 2020 से ही राज्यपालों के पास लंबित पड़े हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह चिंता का विषय है, लेकिन अदालत संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपनी राय देगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या न्यायालय यह तय कर सकता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को बिलों पर कब तक निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने पांच पन्नों के संदर्भ पत्र में 14 सवाल रखे हैं, जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है। यह सवाल मुख्य रूप से अनुच्छेद 200 और 201 से जुड़े हैं, जिनमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा से पास हुए बिलों पर फैसला देते हुए पहली बार यह कहा था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से भेजे गए किसी भी बिल पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक माना गया क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं थी। केंद्र सरकार ने अपनी लिखित दलीलों में कहा है कि अगर कोर्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति पर तय समय सीमा थोप देता है, तो यह संविधान की बुनियादी व्यवस्था को बदल देगा। इससे सरकार के अलग-अलग अंगों के बीच टकराव पैदा होगा और संवैधानिक अव्यवस्था खड़ी हो सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह इस मामले में सिर्फ संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर अपनी राय देगा। अदालत ने यह भी कहा कि उसका मकसद सिर्फ कानून की व्याख्या करना है, न कि किसी राज्य या विशेष मामले पर टिप्पणी करना। अब अगली सुनवाई में यह साफ होगा कि क्या देश में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका पर नई संवैधानिक व्याख्या

कंप्यूटर क्रांति के निर्माता और दूरदर्शी नेता

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्मदिवस पर राष्ट्र टाइम्स की ओर से श्रद्धांजलि

भारत के आधुनिक इतिहास में स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम सदा-सदा के लिए अंकित रहेगा। उन्हें देश ने «कंप्यूटर क्रांति का जनक और आधुनिक भारत के शिल्पकार» की उपाधि दी। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्र टाइम्स परिवार उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए नमन करता है।

✦ प्रारंभिक जीवन और राजनीति में प्रवेश

20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी जी का राजनीति में प्रवेश सहज नहीं था। पायलट के रूप में भारतीय विमानन सेवा में कार्य करते हुए उनका जीवन राजनीति से दूर था। लेकिन संजय गांधी की असामयिक मृत्यु के बाद परिवार और देश की परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति में सक्रिय किया।

1984 में इंदिरा गांधी की शहादत के बाद वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने।

✦ भारत को नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक निर्णय

राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई ऐसे कदम उठाए, जिनसे भारत की तस्वीर बदल गई-

सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर क्रांति-

जब देश में कंप्यूटर और तकनीक का विरोध हो रहा था, तब उन्होंने भविष्य को देखते हुए इसे अपनाने का साहसिक निर्णय लिया। आज भारत का आईटी सेक्टर विश्वभर में अग्रणी है, इसका श्रेय राजीव गांधी को जाता है।आप

दूरसंचार क्रांति-

टेलीफोन को 'आम आदमी की पहुंच' में लाने की उनकी नीतियों ने भारत को कनेक्टिविटी की नई राह दिखाई।

नए शिक्षा सुधार और तकनीकी मिशन-

1986 में उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की। 'प्रौद्योगिकी मिशन' के माध्यम से साक्षरता, जल, कृषि, स्वास्थ्य और संचार क्षेत्रों में नई ऊर्जा आई।

मताधिकार की आयु घटाना-

युवाओं पर गहरा विश्वास रखते हुए उन्होंने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की, जिससे करोड़ों युवाओं को लोकतंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिला।

पंचायती राज व्यवस्था को

मजबूती-

उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।

अंतरराष्ट्रीय संबंध-

1987 में श्रीलंका के साथ भारत-श्रीलंका समझौता (Indo-Sri Lanka Accord) कर उन्होंने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की पहल की।

✦ एक संवेदनशील और दूरदर्शी व्यक्तित्व

राजीव गांधी जी का व्यक्तित्व आधुनिक विचारों से ओत-प्रोत था। वे युवाओं को राष्ट्रनिर्माण का केंद्र मानते थे। उनकी यह सोच आज भी भारत के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा है। उनका यह कथन कालजयी है-

> «भारत को 21वीं सदी में ले जाना है, और इसके लिए, हमें विज्ञान, तकनीक और आधुनिक सोच को अपनाना होगा।»

✦ आज का भारत और उनकी दूरदृष्टि

आज भारत जिस तकनीकी और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसकी नींव राजीव गांधी जी ने ही रखी थी। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनियाँ और डिजिटल इंडिया की अवधारणा, इन सबकी जड़ें राजीव गांधी की दूरदर्शी नीतियों में ही निहित हैं।

✦ राष्ट्र टाइम्स की श्रद्धांजलि

उनके जन्मदिवस पर राष्ट्र टाइम्स परिवार उन्हें शत-शत नमन करते हुए यह संकल्प लेता है कि हम उनके सपनों और आदर्शों को आगे बढ़ाएँगे। राजीव गांधी जी का जीवन केवल एक राजनीतिक गाथा नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की परिकल्पना और निर्माण की अमर कहानी है। उनकी स्मृति सदैव हमारे हृदयों में जीवित रहेगी।

दिल्लीवाले मांगे विकास: इस गांव में नहीं हैं मूलभूत सुविधाएं, स्कूल से अस्पताल तक की भी सुविधा नहीं

पूर्वी दिल्ली। चौड़ी गली है, उधर कार भी आती है और कार के साथ-साथ ट्रक भी आता है, लेकिन चुनाव के बाद सरकार नहीं आती है। यह पंक्ति पुराना उस्मानपुर गांव पर सटीक बैठती है। आजादी के 78 साल बाद भी राजधानी का यह गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गांव में न तो पीने के लिए पानी है और न ही रात गुजारने के लिए बिजली की पर्याप्त सप्लाई। लोगों का आरोप है कि तमाम शिकायतों के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मंगलवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में निवासियों ने गांव की समस्याओं को साझा किया। संवाद कार्यक्रम में ब्रह्म प्रकाश, अनिल चौधरी, योगेश चौधरी, सचिन चौधरी, नरेंद्र चौधरी, योगेश डेढ़ा, बंटी चौधरी, चौधरी इच्छा राम समेत अन्य लोगों ने बताया, यमुना किनारे बसे इस गांव में पहले खेती होती थी, लेकिन सरकारी दांव पेंच के बाद उन्हें खेती करने से वंचित कर दिया गया। गांव में 15 साल से सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। गांव के रास्ते कच्चे हो गए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि यहां पीने के लिए पानी की सप्लाई नहीं होती है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। महिलाएं दूर का सफर तय करके दूसरी जगहों से पानी भरकर लाती हैं या फिर पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इसके अलावा तालीम हासिल करने के लिए गांव में एक भी स्कूल नहीं है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अन्य गांव जाना पड़ता है। वहीं, बीमार होने पर लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ता है। यहां गांव में उपचार के लिए एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन पर मुसीबतें टूट पड़ती हैं।

संघर्ष से निकले नए भारत के कर्णधार

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में कुछ कर्णधार हस्तियों का योगदान होता है, जैसे अब्राहम लिंकन का अमेरिका को बनाने में, चर्चिल का ब्रिटेन को बनाने में, शाह अब्दुल्लाह का सऊदी अरब को बनाने में, पुतिन का रूस को बनाने में आदि। इसी प्रकार से मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल की तिकड़ी ने भारत को हर क्षेत्र में उन्नति से नवाजा है। इस में अमित शाह ने जिस प्रकार से राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित कर दिया है, वह अपने में विलक्षण है। उनकी एक साधारण व्यक्ति से गृहमंत्री की उठान फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि कांटों की थी। अमित शाह आजाद भारत के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री होने का रिकार्ड बना चुके हैं। वे अब तक के सबसे कामयाब गृहमंत्री भी है क्या? इसका विश्लेषण लोग अपने- अपने तरीके से कर सकते हैं लेकिन सभी के विश्लेषण में इस बात का जिक्र जरूर होगा कि आखिर देश ने उनके कार्यकाल में क्या हासिल किया और आगे उनसे उम्मीदें क्या हैं? गृहमंत्री के रूप में अमित शाह अपने सातवें वर्ष के कार्यकाल में हैं। इस अवधि में उन्होंने जो सबसे बड़ी सार्वजनिक पहचान हासिल की वह यह है कि वे बड़े साहसी नेता हैं और देश को उनकी जरूरत है। यह भाव केवल सत्ता पक्ष का नहीं है, बल्कि विपक्ष का भी है। आज देश का हर नागरिक मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित भाई शाह और सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल न होते तो अनुच्छेद 370 कभी नहीं हटता। देश की पुरानी कश्मीर समस्या के समाधान का कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलता। पंडित नेहरू ने तो कह दिया था कि अनुच्छेद 370 घिसते-घिसते घिस ही जाएगा, जिसे अमित शाह ने ही घिसा। पाकिस्तान, बंगलादेश और तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला एक विधेयक पारित नहीं हो पाता। मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक का कानून पास नहीं हो पाता और देश में रह रहे विदेशियों को चुन-चुन कर निकाला नहीं गया होता। अमित शाह ने मई 2019 में गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। तब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। कश्मीर में पत्थरबाजी चरम पर थी, आतंकवादियों के शव के साथ जुलूस निकालकर उनका महिमामंडन किया जाता था। यहां तक कि कश्मीर के सरकारी तंत्र में भी आतंकवादियों के समर्थक घुस गए थे। एक लंबे समय से चरमराए और भ्रष्टाचार में लिप्त वक्फ सिस्टम को नए संशोधन लाकर पिछड़े मुस्लिमों और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को वक्फ के ऊपर गलत तरीके से काबिज कुछ मुस्लिमों द्वारा उनके छीने अधिकारों को वापिस दिलाने की कोशिश में भी अमित शाह, मोटा भाई का पूर्ण सहयोग है। वक्फ की लाखों करोड़ों की संपत्ति पर कुंडली जमाए मोटे-मोटे भ्रष्ट अफसर मौलवी, मदरसों, कब्रिस्तानों, खानकाहों, अनाथालयों आदि पर बैठे हैं, अतः यह संशोधन उन्हें उनका हक दिलाएगा, भले ही विपक्ष कितना ही मुस्लिमों को भड़काता रहे। अमित शाह ने इन सभी घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित किया। अब कोई घाटी में पत्थर नहीं चलाता, किसी आतंकवादी का सार्वजनिक जनाजा नहीं उठता। किसी सरकारी विभाग से कोई अलगाववाद की आवाज नहीं आती। हालांकि कश्मीर में अब भी आतंक की वारदात हो जाती है लेकिन अब यह पाकिस्तानी आतंकवादियों की करतूत तक सीमित रह गई है, जिसका काफी हद तक इलाज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कर दिया गया है। देश में नक्सलवाद की समस्या लगभग 6 दशक पुरानी है। लाखों लोग खूनी वाम विचारधारा की भेंट चढ़ गए लेकिन इसका स्थाई समाधान नहीं हो पाया था। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही यह ऐलान कर दिया था कि लाल क्रांति की राह छोड़ कर जो धरती को हरा-भरा करने में आगे आएंगे, उन नक्सलियों को सामान्य और इज्जत की जिंदगी जीने में पूरा सहयोग देंगे लेकिन जो फिर भी हथियार चलाएंगे, उनको समाप्त कर देंगे। प्रधानमंत्री के संकल्प को गृहमंत्री अमित शाह ने पूरा करने का प्रण लिया और यह तय किया गया कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। अब नक्सल आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आंकड़ों से परिणाम को समझा जा सकता है।

2009 और 2014 के बीच नक्सली हिंसा में कुल 5225 लोग मारे गए थे लेकिन 2019 और 2024 के बीच यह संख्या 600 से कम हो गई। सबसे ज्यादा सुखद परिणाम सुरक्षाकर्मियों की हताहत के मामले में आया है। अब पहले की अपेक्षा नक्सली आपरेशन में हमारे सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु की संख्या में 56 प्रतिशत की कमी आई है। इस दौरान नक्सल नेतृत्व का लगभग खात्मा कर दिया गया है। 21 प्रमुख नक्सली नेताओं को मार गिराया गया है। यह अमित शाह की आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति का ही परिणाम है। आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि लोगों में यह विश्वास जगे कि सरकार और कानून उनके साथ है। इस विश्वास की बहाली के लिए पिछले कुछ सालों में कानूनी खामियों को दूर करने के कई बदलाव किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम में 2019 में संशोधन। पिछले साल लिए गए इस संशोधन के बाद एनआईए के अधिकार क्षेत्र में विस्तार तो हुआ ही साथ ही कई ऐसे अपराध भी उसकी परिधि में आ गए जो नए जमाने के साथ उभरे हैं। अब एनआईए मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियार, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित अपराधों की भी जांच कर सकेगा, भले ही वे भारत के बाहर किए गए हों। विदेशों में बैठे भारतीय अपराधियों को अब देश में लाना आसान हो गया है। देश में कांग्रेस की सरकार के दौरान कई ऐसे संगठन कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो गए, जिनका मुखौटा वाम या अलगाववादी राजनीतिक आंदोलन का था लेकिन काम वे देश हित के खिलाफ करते थे। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में कई ऐसे ही संगठनों को न केवल प्रतिबंधित किया, बल्कि उनके नेतृत्व के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की। पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने 23 ऐसे ही संगठनों को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। अमित शाह के गृह मंत्रालय संभालने के बाद 9 संगठनों को पहली बार गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया। इनमें पीएफआई और हुर्रियत भी शामिल हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्य वर्षों से आतंरिक संघर्ष में उलझे हुए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी सूझबूझ से पूर्वोत्तर के कई उलझे मामले सुलझा दिए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस क्षेत्र में 12 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो कि एक रिकार्ड है। इस कारण पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में स्थाई शांति का वातावरण तैयार हुआ है। यहां की हिंसक घटनाओं में 71 प्रतिशत की कमी आई है। 10,500 से अधिक उग्रवादियों का आत्मसमर्पण हुआ है। पूर्वोत्तर में शांति का सबसे बड़ा सबूत आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर के दायरे में आई कमी है। त्रिपुरा और मेघालय से एएफएसपीए को पूरी तरह से हटा दिया गया है। असम के केवल 3 जिले, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले और नगालैंड के कुछ क्षेत्रों में ही एएफएसपीए लागू है। अमित शाह को लोग टास्क मास्टर कहते हैं। उन्हें काम करना और करवाना बखूबी आता है। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी होने के कारण भले ही उनको अवसर मिला लेकिन पहचान उन्हें उनके काम से मिली है। वह बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। वह इस समय देश में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे उपयोगी सहयोगी हैं।

सम्पादकीय...

आवाज़ों के रक्षक

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (2007-2011) जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम मामले के ऐतिहासिक फैसले के जरिए भारतीय संविधान में अमूल्य योगदान दिया। इस निर्णय में उन्होंने आदिवासी समुदायों की रक्षा की और संवैधानिक मर्यादाओं को सुदृढ़ किया। न्याय और नैतिकता के प्रति उनका समर्पण केवल अदालत की बेंच तक सीमित नहीं रहा–लोकायुक्त और पर्यावरण निगरानी जैसे दायित्वों में भी उन्होंने संस्थागत ईमानदारी और भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। इंडिया गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का निर्णय न केवल सराहनीय है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़ा होने का प्रतीक भी है। वे भले ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच से सबसे चर्चित नामों में न रहे हों, लेकिन उनकी न्यायशास्त्रीय दृष्टि और फैसले उनकी गहरी संवैधानिक चेतना के गवाह हैं। खासकर हाशिये पर पड़े वर्गों की सुरक्षा और कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगाने में उनके निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए। सलवा जुडूम का फैसला आज भी भारतीय संवैधानिक कानून का मील का पत्थर माना जाता है, जहाँ अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य की जवाबी कार्रवाई मौलिक अधिकारों की क़ीमत पर नहीं हो सकती। 1948 में जन्मे जस्टिस रेड्डी ने हैदराबाद के लॉ कॉलेज से विधि की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही उनमें संवैधानिक मूल्यों, न्याय और सामाजिक सरोकार के प्रति गहरी निष्ठा दिखने लगी थी। 1971 में वकालत शुरू करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों व जनहित याचिकाओं में बेख़ौफ़ दलीलें रखीं। 1995 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। उनके फ़ैसले संविधान के प्रति गहरी निष्ठा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। वे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष भी रहे और आम नागरिकों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएँ शुरू कीं। 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उसमें सलवा जुडूम फ़ैसले जैसी गूंजती हुई मिसाल शामिल है। 2011 में नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में उनके नेतृत्व वाली पीठ ने सलवा जुडूम आंदोलन को असंवैधानिक ठहराया। यह राज्य-समर्थित अर्धसैनिक अभियान था, जिसमें विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में अनपढ़-नासमझ आदिवासी युवकों को हथियार थमा दिए गए थे। फ़ैसले में कहा गया कि यह व्यवस्था न केवल अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है, बल्कि संवैधानिक दायित्व से पलायन भी है। जस्टिस रेड्डी ने साफ़ शब्दों में कहा कि नागरिकों को हथियारबंद कर हिंसक संघर्ष में झोंकना, राज्य का संवैधानिक जिम्मेदारी से पलायन है। यह फ़ैसला न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला था, बल्कि इसने यह मानक भी स्थापित किया कि कोई भी सुरक्षा नीति संविधान की चौखट से बाहर नहीं हो सकती। इसे भारतीय न्यायिक इतिहास में न्यायिक मानवतावाद का उज्ज्वल उदाहरण माना जाता है। फ़ैसले के बाद कई बार इसे दरकिनार करने की कोशिशें हुईं। लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया कि इस विषय पर नया कानून बनाना अवमानना नहीं होगा, पर मूल फ़ैसले की संवैधानिक आत्मा को बदला नहीं जा सकता। इस तरह जस्टिस रेड्डी द्वारा खींची गई संवैधानिक रेखा शासन और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की कसौटी बनी रही। सेवानिवृत्ति के बाद भी जस्टिस रेड्डी ने संवैधानिक मूल्यों को जिया। 2013 में वे गोवा के पहले लोकायुक्त बने। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के खनन प्रभाव क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय योजना की निगरानी का जिम्मा उन्हें सौंपा। यह उनके निष्पक्ष प्रशासनिक कौशल और पर्यावरणीय न्याय के प्रति भरोसे का प्रमाण था। हाल ही में एक पुस्तक संविधान की प्रस्तावना के विमोचन अवसर पर उन्होंने उन बुद्धिजीवियों की आलोचना की जो कहते हैं कि भारतीय संविधान वास्तव में भारत का नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान निर्माण के दिन ऑर्गेनाइज़र पत्र ने तिरंगे और संविधान दोनों को अस्वीकार किया था। इस संदर्भ में उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के उत्तर को दोहराया कि यदि संविधान ने कई वैश्विक स्रोतों से अच्छे विचार अपनाए, तो इसमें शर्म कैसी! अच्छे विचार चाहे जहाँ से मिलें, उन्हें अपनाना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने गांधीजी का कथन उद्धृत किया–मेरे घर की सभी खिड़कियाँ खुली हैं, ताकि हर दिशा से अच्छे विचार भीतर आ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि कृत्रिम रूप से गांधी और अम्बेडकर के बीच टकराव दिखाने की कोशिश करना बौद्धिक बेईमानी है। जस्टिस रेड्डी ने पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की भी चर्चा की, जिसे उन्होंने 31 अप्रैल 1946 को पेश किया था। इसमें राज्यों को अधिक अधिकार और केंद्र को केवल आवश्यक शक्तियाँ देने की कल्पना की गई थी। उन्होंने आलोचकों से सवाल किया कि जो लोग नेहरू के योगदान को छोटा करते हैं, क्या वे उनकी बौद्धिक गहराई को समझते भी हैं? जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी आज न्यायिक नैतिकता, मानवाधिकार और संवैधानिक नैतिकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनकी उम्मीदवारी केवल एक संवैधानिक पद के लिए नामांकन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प भी है। सलवा जुडूम फ़ैसला उनका स्थायी न्यायिक धरोहर है, जिसने दिखाया कि क़ानून महज़ शासन का उपकरण नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का साधन भी हो सकता है।

भारत-चीन : ये नजदीकियां

ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा निभाई गई स्वयंभू भूमिका ने भारत को स्तब्ध कर दिया है। इसके साथ ही रूस से तेल और रक्षा सामग्री की खरीद से चिढ़े बैठे ट्रम्प ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर नई चुनौती फैंक दी है। अमेरिका द्वारा छेड़ा गया टैरिफ युद्ध भारत के साथ-साथ चीन के आर्थिक हितों को नुकसान कर रहा है। ट्रम्प की ब्लैकमेलिंग भारत और चीन को रास नहीं आ रही। चीन के खुले समर्थन के बावजूद पाकिस्तान का अमेरिका के हाथों में खेलना भी कहीं न कहीं चीन को चुभ रहा है। यही कारण है कि चीन अब भारत के करीब आ रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे से यह नजदीकियां स्पष्ट रूप से दिखाई भी दीं। अमेरिका भले ही दक्षिणी चीन सागर या हिन्द प्रशांत के मामले में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ट्रम्प ने असंगत बातें दोहराते हुए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान समर्थक रुख अपनाया उससे भारत को निराशा ही हुई है। पहले चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरूआत की। फिर भारत ने चीनी पर्यटकों के लिए वीजा खोल दिया। धीरे-धीरे सभी स्तरों पर आदान-प्रदान और संवाद फिर से शुरू हो रहा है। यह सब कदम दोनों देशों के सहयोग की ओर लौटने की दिशा में एक साकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर में हुई बातचीत के दौरान सप्लाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में अमेरिका की नीतियां भारत और चीन दोनों के खिलाफ हैं। चाहे वह व्यापारिक प्रतिबंध हो या टैक्नोलॉजी से जुड़े नियम भारत और चीन दोनों को इससे निपटने के लिए आपसी तालमेल की जरूरत है। इस मुलाकात में जहां एक ओर सीमा विवाद पर चर्चा टाल दी गई और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के स्तर पर बातचीत के लिए छोड़ा गया, वहीं दूसरी और सप्लाई और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर बड़ी प्रगति हुई। खास बात यह भी रही कि जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत का तहलान पर रुख नहीं बदला है और वह सिर्फ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध तक ही सीमित रहेगा। इस बीच अमेरिका की नीतियां दोनों देशों के लिए चुनौती के रूप में उभरीं और यह माना गया कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत और चीन को संवाद बढ़ाकर साझा हित साधने होंगे।

सवाल अब यह है कि क्या यह नई पहल भारत-चीन के रिश्तों में दोस्ती की नई पारी की शुरूआत है या फिर यह केवल अस्थायी समीकरण है? चीन ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही खाद (यूरिया, एनपीके, डीएपी), रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई फिर से शुरू करेगा। गौरतलब है कि पिछले एक साल से चीन ने इन पर रोक लगा दी थी जिससे भारत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारत की कृषि जरूरतों का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा चीन से आने वाली खाद पर निर्भर करता है। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और हाईटेक उपकरणों में रेयर अर्थ मिनरल्स का अहम योगदान है। इसी तरह शहरी और सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए टनल बोरिंग मशीनें बेहद जरूरी हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सीमा विवाद पर भी अपनी बात रखी। भारत हमेशा इस बात का समर्थक रहा है कि दोनों देशों में साकारात्मक गति का आधार सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त रूप से शांति और सौहार्द बनाए रखने की क्षमता है। पिछले दिनों वर्षों में गलवान घाटी से लेकर व्यापारिक विवाद तक भारत-चीन में काफी तनाव रहा है। भारत चाहता है कि 3488 किलोमीटर लम्बी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना को वापिस बैरकों में भेजा जाना चाहिए। हालांकि लद्दाख में कई बिन्दुओं की गुत्थियां सुलझ चुकी हैं लेकिन अभी भी दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। विदेश मंत्री ने सीमा पर शांति की जरूरत बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से एक साफ और रचनात्मक नजरिये की जरूरत है। इस कोशिश में हमें तीन परस्पर सिद्धांतों आपसी सम्मान,आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के साथ काम करना चाहिए। मतभेद, विवाद, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में नहीं बदलने चाहिए। चीन के विदेश मंत्री ने भी बड़ा संदेश दिया कि दोनों देशों को एक-दूसरे को दुश्मन नहीं साझेदार के तौर पर देखना होगा। अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि दुनिया में एक तरफा दबाव और धौंस जमाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, मुक्त व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में दोनों देशों को एकजुटता दिखानी होगी। भारत को इस समय कृषि और विकास परियोजनाओं के लिए चीन से सप्लाई चाहिए। जबकि अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करने और आर्थिक चुनौतियों से निकलने के लिए भारत के विशाल बाजार की बहुत जरूरत है। टैरिफ वार से पैदा हुई व्यापार अनिश्चितता के बीच एक बहुध्रुवी दुनिया में भारत को व्यापक रणनीति तैयार करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जा रहे हैं, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी होगी। कुल मिलाकर ट्रम्प के टैरिफ बम को फुस करने के लिए दोनों देशों ने कूटनीतिक रिश्तों का निर्धारण नए सिरे से किया। रणनीतिक व्यवहारिकता से प्रेरित होकर भारत और चीन धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के हुकमरानों के घटिया खेल में उलझने की जरूरत नहीं है। भारत को चीन के साथ वैकल्पिक व्यापार ढांचे के लिए सहयोग की रूपरेखा तलाशनी होगी। दोनों देशों को एक-दूसरे की जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत-चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ एक दिन पूरी तरह से पिघल जाएगी। अगर भारत, रूस और चीन एक पाले में खड़े हुए तो फिर ट्रम्प किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।

देश को चाहिए यूनिवर्सल सिटिजन कार्ड

आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद, हर ध्वजारोहण के दौरान किये जाने वाले विकास के वादों के बावजूद नये भारत के तथाकथित डिजिटल केंद्र में अरबों खर्च करने के बावजूद एक भारतीय नागरिक अपने पहचानपत्रों के साथ बेबस खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की पहले की चेतावनी पर सहमति जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रम तोड़ दिया है, पहचान के पवित्र टोकन समझे जाने वाले आधार, पैन और वोटर आईडी नागरिकता के सबूत नहीं है, यह एक धोखा है, नौकरशाही की कलई उतार देने वाली ऐसी घटना है जिसकी चपेट में देश के 95 करोड़ मतदाता हैं। जिन दस्तावेजों को प्रमाणपत्र बताया गया था उन्हें अचानक खोखला बता दिया गया है। ऐसे में चाकू की तरह बेधक सवाल सामने है कि अगर ये कार्ड हमारी नागरिकता साबित नहीं करते तो नागरिकता किससे साबित होती है? यह भी कि अगर राज्य इस प्रश्न का जवाब नहीं देता तो फिर इस देश का क्या करें, जिसे हम अपना समझते आये हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बाबू अब्दुल रऊफ सरदार के लिए वज्रपात की तरह है, जिन्हें अदालत ने जमानत नहीं दी। आरोप है कि बंगलादेश से अवैध रूप से भारत आये इस व्यक्ति ने यहां भारतीय नागरिकता से संबंधित जाली प्रमाणपत्र बना लिये। अदालत में न्यायमूर्ति अमित बोरकर की टिप्पणी स्पष्ट और दो टूक थी कि 'आधार, पैन और मतदाता प्रमाण पत्रों के होने भर से कोई इस देश का नागरिक नहीं बन जाता।' उनका यह भी कहना था कि ये दस्तावेज रोजगार पाने के प्रमाणपत्र हैं, इनसे नागरिकता कानून, 1955 के तहत नागरिकता साबित नहीं होती। उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक दूसरे मामले में भारत निर्वाचन आयोग का समर्थन करते हुए कहा कि आधार नागरिकता के प्रमाण का निर्णायक सबूत नहीं हो सकता। घुसपैठ पर अदालतों की सख्ती समझ में आती है, पर क्या सरकारी एजेंसियां भी अदालती आदेशों को बिना सोचे-विचारे उन पर लागू कर सकती है जो अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और जिन्होंने स्वतंत्र भारत को अपने आवास के रूप में चुना? जो आजाद भारत में पैदा हुए उनका क्या? ये सारी बातें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाती हैं, किसी को उसकी भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र कहां से मिलेगा? नौकरशाही में तकरार की वजह से आरओसी (सिटिजन ऑफ रजिस्टर) को 2011 से अद्यतन नहीं किया गया है। आरओसी संभवतः अकेला विश्वसनीय दस्तावेज है जिसे सरकारी अधिकारियों द्वारा हर दशक में तैयार किया जाता है। अब चुनाव आयोग ने नागरिकता प्रदान करने का तंत्र खुद ही विकसित कर लिया है। वह वोट देने के इच्छुक नागरिकों से 11 दस्तावेज मांगता है। चुनाव आयोग को अब जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिक के प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, शादी के प्रमाणपत्र तथा माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र चाहिए, यह आश्चर्यजनक है कि आधार, पैन और चुनाव आयोग के फोटो प्रमाणपत्र नागरिकता के प्रभावी सबूत नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका कोई सुसंगत जवाब नहीं दिया गया है। आयोग को याद दिलाने की जरूरत है कि सिर्फ 2.5 फीसदी भारतीयों के पास पासपोर्ट और मात्र 14.71 प्रतिशत भारतीयों के पास मैट्रिक के प्रमाणपत्र हैं। यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने भारतीयों के पास जन्म प्रमाणपत्र होगा। अदालत में चुनाव आयोग द्वारा पेश आंकड़ा भी बताता है कि ज्यादातर भारतीयों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति व वैश्विक व्यापार की दुनियाँ में आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है

वैश्विक स्तर पर पूरी दुनियाँ जानती है कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद के चुनावी अभियानों, भाषणों में 24 घंटे में युद्ध समाप्ति,अमेरिकी फर्स्ट,मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे अनेकों वादे किए थे।जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालते ही उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं,जो हम करीब 8 महीनों से देख रहे हैं। इसी क्रम में दुनियाँ के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की बात भी कही थी जिसे अब वह पूरा करने पर तुले हुए है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इससे पूरी दुनियाँ हिल गई है, हालांकि ट्रंप द्वारा टैरिफ़ के डंडे के बल पर अनेक देशों से अपने मन मुताबिक एग्रीमेंट करवाकर उन्हें टैरिफ से कुछ हद तक छूट दे दी गई है, परंतु भारत पर अभी 50 परसेंट टैरिफ लगाया गया है,जिससे भारत के फार्मा,कृषि स्टील इत्यादि अनेक क्षेत्रों पर फर्क पड़ने की संभावना जताई जा रही है,दरअसल अब 27 अगस्त से 25 परसेंट इसे दोगुना कर 50 परसेंट तक करने का ऐलान किया है। इस फैसले से भारत के करीब 40 अरब डॉलर के निर्यात- जिसमें ज्वेलरी, वस्त्र और फुटवियर जैसे सेक्टर शामिल हैं,पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं,भारत- अमेरिका के बीच होने वाली द्विपक्षीय व्यापार वार्ता भी इसी विवाद की वजह से रोक दी गई। यह वार्ता 25 से 29 अगस्त के बीच प्रस्तावित थी, लेकिन अमेरिकी ट्रेड टीम का दौरा अचानक रद्द कर दिया गया इसीलिए माननीय पीएम द्वारा 18 अगस्त 2025 को देरशाम इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें सात केंद्रीय मंत्री व नीति आयोग सहित अनेकों संस्थाएं ने भाग लिया जिसमें जीएसटी रिफॉर्म पर भी चर्चा हुई। मीडिया में अंदाज लगाया जा रहा है कि अब जीएसटी स्लैब दो सिलेबस 5 परसेंट व 18 परसेंट तक सीमित कर दिया जाएगा,उधर 18-19 अगस्त 2025 को चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं,इसके पूर्व कल ज्लेन्सकी ने हमारे पीएम महोदय से बात की, उसके बाद अलास्का बैठक के बाद पुतिन ने भी 18 अगस्त 2025 को देर शाम भारत भारतीय पीएम को फोन कर अलास्का मीटिंग के बारे में जानकारी दी,जिससे भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगने को रेखांकित किया जा सकता है।इसलिए, आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,ट्रंप के टैरिफ़ को बेअसर करने भारतीय उद्योगों,अर्थव्यवस्था को जीएसटी सुधारों का बूस्ट डोज - उपभोक्ताओं व राष्ट्र के लिए नई आर्थिक दिशा। साथियों बात अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था आज इस मोड़ पर खड़ी होने की करें,ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत समेत कई देशोंपर 50 परसेंट तक के आयात टैरिफ लगाने की घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन को हिला दिया है। भारत जैसे उभरते हुए देश के लिए यह टैरिफ न केवल निर्यात क्षेत्र पर दबाव डालते हैं बल्कि घरेलू उद्योग और उपभोक्ता बाजार पर भी असर डाल सकते हैं। ऐसे समय में भारत सरकार ने जीएसटी सुधारों के रूप में 'बूस्टर डोज' देने की जरूरत महसूस की, जिससे न केवल टैरिफ के प्रभाव को बेअसर किया जा सकेगा बल्कि घरेलू मांग, उत्पादन और उपभोग की गति भी तेज होगी।अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार की दुनियाँ में आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट की नीति पर खड़ा किया, जिसके तहत उसने भारत समेत कई देशों पर ऊंचे टैरिफ लगा दिए। इन टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना था, लेकिन इसका सीधा असर भारत के निर्यात, उद्योगों और उपभोक्ताओं पर पड़ा।ऐसे समय में भारत सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जीएसटी सुधारों का रास्ता चुना। ये सुधार न केवल अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को संतुलित करेंगे बल्कि उपभोक्ताओं को राहत और उद्योगों को सुरक्षा भी देंगे। अमेरिका द्वारा भारत पर थोपे गए भारी-भरकम टैरिफ के बीच पीएम ने सोमवार शाम 6:30 बजे एक बेहद अहम बैठक बुलाई थी। यह बैठक उनके आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुई, जिसमें वित्तमंत्री समेत सात केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। मीडिया का कहना है कि इस मीटिंग में भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के असर की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति तय की गई ऐसा मीडिया से ज्ञात हुआ। साथियों बात अगर हम अमेरिका के 50 परसेंट टैरिफ का पृष्ठभूमि के भारत पर असर पढ़ने की करें तो,अमेरिका ने हाल ही में चीन, भारत, मैक्सिको और यूरोप के कुछ देशों पर उच्च टैरिफ लागू करने का संकेत दिया है। भारत से निर्यात होने वाले स्टील, एल्युमिनियम, टेक्सटाइल, आईटी हार्डवेयर, फार्मा और ऑटो पार्ट्स पर सीधा असर पड़ सकता है।टैरिफ से भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा कम होगी। भारत का आईटी और फार्मा सेक्टर, जो अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर है, विशेष रूप से चुनौती का सामना करेंगे,इससे भारत का ट्रेड बैलेंस बिगड़ सकता है और डॉलर के मुकाबले रुपये पर दबाव आ सकता है।यानें साफ है कि अमेरिकी टैरिफ एक आर्थिक हथियार की तरह है, जिसे भारत की वृद्धि की गति धीमी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी काट के रूप में भारत का जीएसटी सुधारों का बूस्टर डोज के रूप में जवाब है,भारत सरकार ने इसे केवल व्यापारिक समस्या न मानकर घरेलू आर्थिक अवसर में बदलने की रणनीति बनाई है। इसी क्रम में हाल ही में पीएम द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की गई थी।ये सुधार वस्तुतः बूस्टर डोज हैं, जिनका लक्ष्य है-(1) घरेलू खपत बढ़ाना (2) उद्योगों की लागत घटाना (3) टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना (4) वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना (5) निर्यातकों को प्रोत्साहन देना। जीएसटी सुधारों की मुख्य विशेषताएँ- (1) मल्टी-रेट सिस्टम का सरलीकरण -पहले जीएसटी की दरें 0 परसेंट, 5 परसेंट,12 परसेंट,18 परसेंट और 28 परसेंट थीं। सुधारों के बाद अधिकांश वस्तुएं 12 परसेंट और 18 परसेंट के बीच लाने की संभावना है,इससे टैक्स स्लैब कम होकर सरल और पारदर्शी बन जाएगा। (2) ई-कॉमर्स और एमएसएमई को राहत-छोटे उद्योगों को अब सालाना ?2 करोड़ तक टर्नओवर पर जीएसटी से छूट मिलेगी (3) ई- कॉमर्स कंपनियों के लिए एकीकृत फाइलिंग सिस्टम लागू किया गया है। (4) इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आसान बनाना (5) अब उद्योगों को ऑटोमेटिक आईटीसी रिफंड मिलेगा। (6) कैश फ्लो की दिक्कतें कम होंगी और कारोबार का माहौल सुधरेगा। (7) निर्यात क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान (8) निर्यातकों को टैक्स रिफंड 15 दिनों में मिलने का प्रावधान। (9) मेक इन इंडिया यूनिट्स को अतिरिक्त टैक्स राहत। निर्यात क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान- (1) निर्यातकों को टैक्स रिफंड 15 दिनों में मिलने का प्रावधान। (2)मेक इन इंडिया यूनिट्स को अतिरिक्त टैक्स राहत। (3) उपभोक्ताओं को सीधा फायदा (4) रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, वस्त्र और खाद्य पदार्थों पर टैक्स दरें घटाई गईं। (5) इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा और उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा।अमेरिकी टैरिफ और जीएसटी सुधारों का आपसी संबंध- (1) अमेरिका के टैरिफ का मकसद भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचाना है।(2) भारत ने इसके जवाब में घरेलू खपत और उत्पादन पर जोर देकर यह सुनिश्चित किया कि टैरिफ का असर सीमित हो।उदाहरण के लिए-यदि अमेरिका भारतीय टेक्सटाइल पर 50 परसेंट टैरिफ लगाता है,तो भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार में कम टैक्स रेट और सरल जीएसटी प्रक्रिया का लाभ उठाकर अपनी बिक्री बढ़ा सकती हैं। (3) इसी तरह फार्मा सेक्टर को टैक्स रिफंड स्कीम और इनपुट क्रेडिट से राहत मिलेगी। साथियों बात अगर हम जीएसटी रिफॉर्म्स से उपभोक्ताओं व उद्योगों को फायदों की करें तो, उपभोक्ताओं के लिए फायदे- (1) जीएसटी सुधारों का सबसे बड़ा लाभ आम उपभोक्ता को मिलेगा। (2) वस्तुओं पर कम टैक्स दरें- जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और फैक्ड फूड। (3) अधिक पारदर्शिता- अब टैक्स चोरी और कैस्केडिंग इफेक्ट कम होगा। (4) महंगाई पर नियंत्रण- पेट्रोलियम उत्पादों को आंशिक रूप से जीएसटी में लाने की चर्चा भी इससे जुड़ी है। (5) बढ़ती खपत-कम कीमतों से मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी।उद्योगों के लिए फायदे-(1) टैक्स का सरलीकरण -उद्योगों का प्रशासनिक बोझ कम होगा।

(2) कैश फ्लो सुधरेगा-तेज आईटीसी रिफंड से निवेश और उत्पादन में तेजी आएगी। (3) घरेलू बाजार में सुरक्षा कवच-अमेरिकी टैरिफ से निर्यात घटने की स्थिति में घरेलू बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। (4) वैश्विक निवेश आकर्षण-सरल टैक्स प्रणाली विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। अतः अगर हम उपर पूरे विवरण का अध्ययन करें उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप के टैरिफ़ को बेअसर करने भारतीय उद्योगों, अर्थव्यवस्था को जीएसटी सुधारों का बूस्ट डोज़- उपभोक्ताओं व राष्ट्र के लिए नई आर्थिक दिशा अंतरराष्ट्रीय राजनीति व वैश्विक व्यापार की दुनियाँ में आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा लाल किले की प्राचीर से पीएम का जीएसटी रिफॉर्म का आगाज़- टैरिफ भारत के लिए बाधा नहीं बल्कि

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सदा पीपलशाला एसा, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/0862)

बीमारियों पर नकेल कसने की तैयारी, डेटा पोर्टल पर दर्ज कर बनेगी रोकथाम की रणनीति

रोग प्रबंधन पर सीएमओ सख्त

देवरिया। संचारी और गैर-संचारी रोगों के सटीक प्रबंधन और रोकथाम के लिए अब स्वास्थ्य विभाग पोर्टल आधारित निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा। इसी कड़ी में बुधवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस (सीबीएचआई) की टीम ने धन्वन्तरी सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एमओआईसी, एआरओ और फार्मासिस्टों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में संचारी रोग और गैर-संचारी रोग से संबंधित डेटा के नियमित और सटीक अपडेट को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। सीएमओ डॉ. गुप्ता ने कहा कि पोर्टल पर दर्ज किया जाने वाला यह डेटा स्वास्थ्य विभाग को न केवल रोगों के प्रसार की वास्तविक स्थिति से अवगत कराएगा, बल्कि रोकथाम और नियंत्रण की प्रभावी रणनीति बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इस पोर्टल के प्रयोग में दक्ष बनाया जाएगा और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीबीएचआई की उपनिदेशक दीक्षा सचदेवा ने बैठक में कहा कि रोगों से संबंधित डेटा दर्ज करने में किसी प्रकार की चूक या लापरवाही गंभीर परिणाम दे सकती है। इसलिए हर स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त जानकारी का पोर्टल पर समयबद्ध और सटीक एंट्री सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पोर्टल आधारित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली ही भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनेगी। बैठक में उपस्थित एसीएमओ (आरसीएच) डॉ. अजय शाही, डिप्टी सीएमओ डॉ. अश्वनी पांडेय, डॉ. आर.पी. यादव, डीपीएम पूनम, रविजीत बहादुर सिंह, अभिषेक सिंह, शेष कुमार मौर्य समेत जिलेभर के एमओआईसी, एआरओ और फार्मासिस्ट शामिल रहे। बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने पोर्टल पर डाटा एंट्री की तकनीकी प्रक्रिया, डेटा की गोपनीयता और उसके विश्लेषण की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की। सीएमओ ने निर्देश दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारी अपने-अपने स्तर पर निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि डेटा समय पर दर्ज हो।

नौवीं पुण्यतिथि पर याद किए गए आर.एल. एकेडमी के संस्थापक अभय श्रीवास्तव

सलेमपुर,देवरिया।

आर.एल. एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्थापक एवं संस्थापक प्रिंसिपल, शिक्षा जगत की प्रेरणा और बच्चों के लिए सदैव स्नेहिल अभिभावक रहे स्वर्गीय अभय कुमार श्रीवास्तव की नौवीं पुण्यतिथि श्रद्धा और भावुकता के बीच मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में आचार्यों एवं शिक्षकों द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया और बड़ी संख्या में पहुंचे अतिथियों, विद्यालय परिवार एवं विद्यार्थियों ने स्वर्गीय अभय श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी स्मृति में हर वर्ष आयोजित होने वाली अभय टैलेंट हंट जीके प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष प्रतियोगिता में कुल 1067 विद्यार्थियों ने प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता को किड्स ग्रुप, जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप में बांटा गया, जिनमें प्रथम पुरस्कार के रूप में विजेताओं को साइकिल, द्वितीय को स्टैंड फैन, तृतीय को प्रेस तथा 30-30 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। वहीं बोर्ड परीक्षा में 93 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और 90 से 93 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट देकर सम्मानित

किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम मुख्य अतिथि रहीं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. अजय कुमार शुक्ला विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता सूबेदार मेजर रवि प्रताप सिंह, पूर्व विधायक काली प्रसाद, पूर्व विधायक मनबोध प्रसाद, जिला पंचायत अध्यक्ष पं. गिरीश चंद तिवारी, भाजपा नेता अनिरुद्ध मिश्रा, पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय, विधायक सभाकुंवर कुशवाहा, बरहज विधायक दीपक मिश्रा (शाका), पूर्व विधायक स्वामी नाथ यादव समेत क्षेत्र के कई विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, राजनीतिक प्रतिनिधि व गणमान्य जन भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के परिणामों में किड्स ग्रुप में संगम गिरी ने पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं जूनियर ग्रुप में प्रिया गुप्ता और सीनियर ग्रुप में राकेश सिंह चौहान अव्वल रहे।

इनके साथ ही द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही बोर्ड परीक्षा में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं अदिति गुप्ता, आशीष त्रिपाठी, जोया अंसारी को लैपटॉप और आशीष चौरसिया, रंजीत यादव, प्रांजल गुप्ता, कृष कुशवाह को टैबलेट देकर पुरस्कृत किया गया।

बच्चों की प्रतिभा को समर्पित रहा कार्यक्रम

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने कहा कि बच्चों में सामान्य ज्ञान और प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने के लिए स्वर्गीय अभय श्रीवास्तव का प्रयास सराहनीय है। उनकी स्मृति में आयोजित यह प्रतियोगिता उनकी शिक्षा-समर्पित सोच को जीवित रखती है। कार्यक्रम के अंत में संस्था के संरक्षक अनिल कुमार श्रीवास्तव और डायरेक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव ने अपने पिता को याद करते हुए भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके आदर्शों व शिक्षा के प्रति समर्पण को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रिंसिपल संजय कुमार पांडेय ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना ही अभय सर का सपना था, और पूरा विद्यालय परिवार इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिका जेबा फातिमा और शिव मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, छात्र-छात्राएं और अभिभावकों की बड़ी संख्या मौजूद रही।

स्वयं की लापरवाही से किडनी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा : डा. देशमुख

कहा– किडनी की सही देखभाल ही लोगों की लम्बी उम्र का आधार है

जौनपुर।

वर्तमान में शरीर के महत्वपूर्ण अंग किडनी में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा बढ़ गया है जिसका कारण लोगों का अपने शरीर के प्रति लापरवाही मानी जा रही है। उक्त बातें गुर्दा रोग विशेषज्ञ डा. संदीप देशमुख ने पत्र–प्रतिनिधि से हुई एक भेंट के दौरान कही। नगर के नईगंज (प्रयागराज मार्ग) पर स्थित ट्यूलिप हार्ट एण्ड किडनी सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में सेवा दे रहे डा. देशमुख ने बताया कि शुगर के बढ़ने, ब्लड प्रेशर बढ़ने, अत्यधिक शराब का सेवन करने एवं दर्द निवारक

दवाओं का अत्यधिक इस्तेमाल के चलते किडनी में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी दिल्ली से डीएनबी (नेफ्रोलॉजी) करने के बाद आई.के.डी.आर.सी. अहमदाबाद (गुजरात) में एस.आर. के रूप में सेवा दे चुके डा. देशमुख ने बचाव के बारे में बताया कि किडनी की सही देखभाल ही लोगों की लम्बी उम्र का आधार है। लोगों को चाहिये कि प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। अनावश्यक दवाओं से बचने के अलावा नमक एवं चीनी का प्रयोग सीमित करें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर को कण्ट्रोल में रखते हुये समय–समय पर किडनी की जांच अवश्य करानी चाहिये।

किसानों को मिलेगा तोरिया का निःशुल्क बीज मिनीकिट

देवरिया।

रबी की फसल से पहले किसानों के लिए राहतभरी खबर है। कृषि विभाग ने राज्य सहायतित निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत तोरिया बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि जनपद देवरिया को 25 क्विंटल बीज मिनीकिट का लक्ष्य मिला है, जिसे किसानों को मुफ्त में बांटा जाएगा। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो

अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पंजीकृत किसान मिनीकिट प्रदर्शन हेतु यह बीज प्राप्त कर सकेंगे। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आते हैं तो लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी से किया जाएगा। चयनित किसानों को पीओएस मशीन के माध्यम से निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी रहे। कृषि विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की थी, लेकिन किसानों की सुविधा और व्यापक भागीदारी को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दिया गया है। किसान पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर जाकर आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। कृषि विभाग का दावा है कि इस मिनीकिट वितरण कार्यक्रम से किसानों को बेहतर उपज, उत्पादन लागत में कमी और वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा मिलेगा।

योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल की ओर से जिलाधिकारी को किया गया सम्मानित

जौनपुर ।

शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में जिलाधिकारी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत वृहद स्तर पर तिरंगा रैली निकाली गयी। गत 13 अगस्त 2025 को जनपद में पुलिस लाइन से शाही किले तक निकाली गई 5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा रैली ने विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। जिसपर योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल की ओर से जिलाधिकारी को आज सम्मानित किया गया। योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल की ओर से आये आचार्य श्री डा0 यश पराशर तथा डा0 मालविका बाजपेयी द्वारा

*जिलाधिकारी ने जनपदवासियों का जताया आभार

जिलाधिकारी को जनसुनवाई कक्ष में प्रमाण-पत्र प्रदानकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा में सभी जनपदवासियों के उत्साह से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तीनों चरणों में जनपद में सर्वाधिक तिरंगा रैलियां निकाली गईं। तीनों चरणों में इस दौरान वृहद स्तर पर रैलियां निकाली गईं। 13 अगस्त 2025 को आयोजित इस विशाल, भव्य और ऐतिहासिक तिरंगा रैली में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सहित आदि का प्रबन्धन किया गया था, जिससे यह विशाल रैली सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। यह तिरंगा यात्रा हमारे देश के वीरों, शहीदों के लिए सम्मान था। तिरंगा रैली में प्रतिभाग करने वाले सभी विद्यार्थी, एनसीसी, स्काउट के बच्चे, जनप्रतिनिधि भूतपूर्व सैनिक पुलिस बल के जवान, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं आदि का भारी बारिश के बाद भी तिरंगे के मान सम्मान के लिए उनका उत्साह कम नहीं हुआ। प्रदेश में सर्वाधिक सेल्फी अपलोड की गई, जितने भी पैरामीटर थे उसके अंतर्गत देश प्रदेश में जनपद का अव्वल स्थान रहा। पुलिस लाइन से निकाली गई तिरंगा रैली शाही किले पर जाकर समाप्त हुई, इस दौरान भारी बारिश के बाद भी सभी ने उत्साह के साथ तिरंगा रैली में प्रतिभाग किया। बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने इसमें अनुकरणीय कार्य किया है। तीनों चरणों में जनपद ने अच्छा कार्य किया। जिलाधिकारी ने विश्व रिकार्ड बनाने में अपना योगदान देने वाले तथा तिरंगा रैली में प्रतिभाग करने वाले सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति सहित उपस्थित अन्य अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को शुभकामनाएं भी दी गईं।

दिव्यांग बच्चों के लिए करंजाकला में हुआ विशेष मेडिकल असेसमेंट कैंप

जौनपुर। समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग, दिव्यांग बच्चों के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की गई। बीआरसी करंजाकला परिसर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल के सौजन्य एवं खंड शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार यादव की देखरेख में एक विशाल मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में कुल 66 दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण किया गया, जिनमें से 52 बच्चों को यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यू-डीआईडी) कार्ड से लाभान्वित किया गया। यह कार्ड भविष्य में बच्चों को न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में, बल्कि सरकारी सेवाओं, छात्रवृत्ति एवं दिव्यांग कोटे के अंतर्गत मिलने वाले विभिन्न लाभों में सहायक होगा।

***जिलेभर में 925 बच्चों का परीक्षण**

बीएसए डॉ. पटेल ने जानकारी दी कि अब तक जिले के 22 ब्लॉकों में मेडिकल असेसमेंट कैंप आयोजित कर लगभग 925 दिव्यांग बच्चों का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 741 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रमाणपत्र बच्चों के जीवन को दिशा देगा और उन्हें सामाजिक एवं शैक्षणिक अवसरों में बराबरी दिलाने का मजबूत आधार बनेगा।

***विशेषज्ञ चिकित्सकों की रही अहम भूमिका**

कैंप में विभिन्न चिकित्सकों की टीम ने दिव्यांग बच्चों की गहन जांच की। इसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय सिंह, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉ. निधि, मानसिक रोग विशेषज्ञ राम प्रकाश पाल तथा फिजियोथेरेपिस्ट पी.डी. तिवारी शामिल रहे। सभी विशेषज्ञों ने बच्चों को चिन्हित कर उनकी समस्याओं का आकलन किया और उचित मार्गदर्शन दिया।

***स्पेशल एजुकेटरों ने दिया सहयोग**

बच्चों के परीक्षण कार्य में स्पेशल एजुकेटर दुष्यंत सिंह, संतोष मिश्र, किरण पांडेय व सुषमा ने विशेष सहयोग प्रदान किया। इन शिक्षकों ने बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं और विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों को भी आवश्यक सुझाव दिए।

21 को आसमान में बादल छाए रहेंगे, 22 से 24 अगस्त के बीच हल्की बारिश की संभावना

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में इस बार का मानसून अब तक बेहतर रहा है। तेज बारिश के साथ हवाओं ने कई बार मौसम को ठंडा कर दिया। मंगलवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। दोपहर में तेज धूप के बाद बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश ने दिल्ली और एनसीआर को पानी-पानी कर दिया। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। दोपहर 1 बजे के बाद काले बादल जमकर बरसे जिससे लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली। बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। ऐसे में बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की खामियों को फिर से उजागर किया। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिल्ली में बारिश ट्रेस की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक के साथ 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 89 से 61 फीसदी रहा।

अगले दो दिनों में कम बारिश की संभावना

दिल्ली में अगले दो दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना कम है। इस बीच तेज धूप निकलेगी और बीच-बीच में हल्के बादलों की आवाजाही भी लगी रहेगी। इस कारण राजधानी के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक के साथ हल्की से बहुत हल्की बरसात की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री तक रहेगा। 22 से 24 अगस्त के बीच हल्की बारिश की संभावना सभी दिन बनी रहेगी।

इस बार हुई हल्की या मध्यम बारिश

राजधानी में इस बार हल्की या मध्यम बारिश हुई है। इस मानसूनी सीजन के बीते डेढ़ महीने यानी 50 दिनों में 40 दिन ऐसे रहे है, जब दिल्ली में फुहारें पड़ी है। बारिश का आंकड़ा भी सामान्य से ज्यादा चल रहा है। राजधानी में पिछले कुछ वर्षों से बारिश का स्वरूप एक जैसा नहीं दिख रहा था। इस बार पहले की तुलना में ज्यादा समरूप तरीके से बारिश हो रही है। जुलाई के 31 में से 29 दिन ऐसे रहे थे, जब हल्की से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई। अगस्त के बीते 18 दिनों में से 12 दिन ऐसे रहे है, जब बादल बरसे। यानी बीते डेढ़ महीने में 41 दिन ऐसे रहे है, जब दिल्ली में बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में तेज हवाओं के बीच हो रही बूंदाबांदी के कारण लोग साफ हवा में सांस ले रहे हैं। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 89 दर्ज किया गया। यह हवा की संतोषजनक श्रेणी है। इसमें रविवार की तुलना में 13 सूचकांक की वृद्धि दर्ज की गई है।

अब्बास अंसारी की विधायकी होगी बहाल

इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंसारी को मिली बड़ी राहत

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत दे दी है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। अब अंसारी की विधायकी बहाल होगी। आप को बता दें कि हेट स्पीच केस में मऊ सेशन कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने रिविजन पिटीशन दाखिल की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने कोर्ट ने 30 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि सजा के ऐलान के साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित करने का आदेश जारी कर दिया था। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया था। इसके बाद 1 जून को यूपी विधानसभा सचिवालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया। फिलहाल अब इस सीट पर चुनाव की संभावना समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है।

सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन, पीएम मोदी बने प्रस्तावक

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उन लोगों में शामिल थे, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन दाखिल करने गए। सूत्रों ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहत चार सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पहले सेट में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य प्रस्तावक थे। इससे पहले, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां प्रतिष्ठित हस्तियों की प्रतिमाएं हैं। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमा के समक्ष नमन किया और फिर अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राधाकृष्णन को रविवार को एनडीए का उम्मीदवार चुना गया। राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने यह घोषणा की। राधाकृष्णन इससे पहले सांसद और झारखंड व तेलंगाना के राज्यपाल रह चुके हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, वे कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए और इससे पहले तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में उनके लंबे समय से चल रहे जमीनी स्तर के काम का उल्लेख करते हुए उनकी समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में उन्हें सम्मानित किया गया।

बिहार के बाद अब पूरा देश लड़ेगा! राहुल गांधी का चुनाव चोरी पर हल्ला बोल

नई दिल्ली। चुनावी राज्य बिहार में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को विश्वास व्यक्त किया कि पूरा देश चुनावी चोरी का भी विरोध करेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। बिहार में अब हर कोई वोट चोरी कह रहा है। यह वास्तविकता है। चुनावी चोरी को कोशिश की जा रही है। बिहार विरोध कर रहा है। पूरा देश विरोध करेगा।

कांग्रेस नेता ने हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव जीतने पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी को बधाई दी और उनसे हाथ मिलाया। मतदाता अधिकार यात्रा रविवार को सासाराम से शुरू हुई। 16 दिनों की यह यात्रा बिहार में मतदाता सूची के चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के विरोध में आयोजित की गई है। दूसरे दिन, गांधी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के साथ औरंगाबाद पहुंचे। 19 अगस्त (मंगलवार) को गांधी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य के साथ बिहार के नवादा में रैली की। यह यात्रा 20 से ज्यादा जिलों में 1,300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी और 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता पर झूठ की दुकान चलाने का आरोप लगाया है, क्योंकि कांग्रेस सांसद चुनावी राय बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे है। भाटिया ने आगे सवाल किया कि क्या गांधी झूठ फैलाने के लिए देश से माफी मांगेंगे।

दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली में बुधवार को फिर 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ताजा मामले में ईमेल के जरिए मिली इस धमकी से हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर आनन-फानन में सभी स्कूल परिसरों को खाली कराया गया। बम की धमकी की सूचना पर जांच के लिए डॉग स्क्वायड, बम डिस्पोजल टीम, दिल्ली पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। छात्र-छात्राओं को वापस घर भेजा गया है।

ईमेल भेजकर 25,000 डॉलर की मांग

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, खुद को आतंकवादी 111 बताने वाले ग्रुप ने डीएवी पब्लिक स्कूल, फेथ अकादमी, दून पब्लिक स्कूल, सर्वोदय विद्यालय और अन्य स्कूलों को ईमेल भेजकर 25,000 डॉलर की मांग की। इसी समूह ने 18 अगस्त को भी कई स्कूलों को बम की धमकी भेजने के बाद कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में 5,000 डॉलर की मांग की थी। ईमेल में लिखा था, 'हमने आपके आईटी सिस्टम में सेंध लगाई है, छात्रों और कर्मचारियों का डाटा निकाला है और सभी सुरक्षा कैमरों को नुकसान पहुंचाया है। हम आपकी गतिविधियों पर रीयल-टाइम नजर रख रहे हैं। 48 घंटों के भीतर 2000 अमेरिकी डॉलर इथेरियम पते पर ट्रांसफर करें, वरना हम बम विस्फोट कर देंगे।

गया में प्रधानमंत्री मोदी की महा-सौगात, 1200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। बिहार में सियासत भी अपने जोरों पर है। राहुल गांधी लगातार भाजपा पर हमलावर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 अगस्त को गयाजी जिले का दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे तथा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। चौधरी ने हाल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गयाजी का दौरा किया था। चौधरी

वित्त विभाग का भी प्रभार संभालते हैं। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ''विकास को सौगात लेकर मोदी जी फिर बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 22 अगस्त को गयाजी आ रहे हैं।'' उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गंगा नदी पर बने बिहार के पहले छह लेन वाले पुल और लगभग 1,200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चौधरी ने सोशल मीडिया मंच पर कहा, ''मैं आप सभी से देश के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को सुनने के लिए गयाजी आने का आग्रह करता हूं।'' मोदी अप्रैल से बिहार में मोतिहारी, सीवान, मधुबनी और पटना का दौरा कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं।

महाराष्ट्र के जलगांव में हादसा, खेत के बाड़ में करंट उतरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

महाराष्ट्र। जलगांव जिले के एरंडोल तहसील के वरखेड़ी गांव से दर्दनाक हादसे की खबर आई है। खेत के चारों ओर फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बिछाई गई हाई-वोल्टेज तार ने एक ही परिवार के पांच लोगों की जान ले ली। मरने वालों में एक पुरुष, उसकी पत्नी, एक बुजुर्ग महिला और दो बच्चे शामिल हैं। हादसे में केवल डेढ़ साल की बच्ची बच गई, जो घटना स्थल पर रोते हुए मिली। यह हादसा मंगलवार देर रात हुआ और बुधवार सुबह गांव वालों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने बताया कि खेत मालिक बंटू पाटिल ने जंगली सूअर और अन्य जानवरों को

रोकने के लिए बिजली का तार खेत के चारों ओर बिछा रखा था। इसी दौरान एक परिवार वहां से गुजर रहा था और करंट की चपेट में आ गया। परिवार के सभी पांच लोग मौके पर ही क्लेश होकर गिर पड़े, जबकि बच्ची पास ही बैठकर रोती रही। इसी दौरान एक ग्रामीण की नजर उन पर पड़ी। उसने पास जाकर लोगों को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर तुरंत ग्राम प्रधान और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एरंडोल पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने पांचों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, बच्ची को सुरक्षित पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। घटना स्थल से दो जंगली सूअर भी मृत पाए गए, जिससे साफ हो गया कि तार में करंट प्रवाहित था। फिलहाल पुलिस मृतकों के रिश्तेदारों की तलाश कर रही है। गांव में इस हादसे के बाद मातम और दहशत का माहौल है।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई सुरक्षा

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने हाईकोर्ट की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस के साथ-साथ बम निरोधक दस्ता टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि यह धमकी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के मेल पर आई है। फिलहाल, पूरे परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट में आने-जाने वालों की कड़ी जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है और पुलिस जांच जारी है।

उपराष्ट्रपति चुनावः एनडीए को बहुमत पर भरोसा नहीं, इसलिए विपक्ष से कर रहे संपर्क, संजय राउत का बड़ा दावा

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने बुधवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए को अपनी संख्याबल पर भरोसा नहीं है। इसी कारण एनडीए के नेता विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। राउत ने सवाल उठाया कि जब बहुमत आपके पास है, तो विपक्ष से समर्थन की जरूरत क्यों पड़ रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का संख्याबल भी मामूली नहीं है। विपक्ष ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके सी.पी. राधाकृष्णन को

मैदान में उतारा गया है। राउत ने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने कई विपक्षी दलों से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया और वोट की अपील की। राउत ने सीधे सवाल उठाया कि अगर एनडीए को संसद में बहुमत का भरोसा है, तो विपक्षी नेताओं से संपर्क करने की मजबूरी क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि यह साफ संकेत है कि एनडीए की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। राउत ने आरोप लगाया कि इस बार भी सत्ताधारी गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने से पहले विपक्ष से संवाद करने में नाकाम रहा।

राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर उठाए सवाल

संजय राउत ने भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजभवन से ही गिरफ्तार किया था। राउत के अनुसार यह पूरी कार्रवाई संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राधाकृष्णन ने उस वक्त ईडी अधिकारियों को नहीं रोका और न ही संवैधानिक दायरे में अपनी भूमिका निभाई।

'हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ'

राज्यसभा सांसद राउत ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई केवल एक पद के लिए नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष तानाशाही प्रवृत्ति और उसे समर्थन देने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव नौ सितंबर को होना है और इस चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपने-अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं।

खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त

अफसरों को निर्देश- लगातार करें मॉनिटरिंग, उपलब्धता की जानकारी दी

लखनऊ। योगी सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार ने खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी। खरीफ सत्र 2024 में इस अवधि (18 अगस्त) तक 36.76 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई थी, वहीं इस वर्ष अब तक 42.64 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से

अपील की कि खाद का भंडारण न करें। जितनी आवश्यकता है, उतना खाद लें, जब-जब आवश्यकता है, तब-तब खाद लें। हर जनपद में शिकायत प्रकोष्ठ है। किसी भी परेशानी की स्थिति में अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने उर्वरक की ओवरसेटिंग, कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने जनपद में तैनात अधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण करने, किसानों से संवाद स्थापित करने और समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग ने बताया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है।

गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर पीएम-सीएम का पद जाएगा

- अमित शाह ने लोकसभा में पेश किए 3 विधेयक
- विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा; फाड़ी बिल की कॉपी
- लोकसभा में विपक्ष ने शाह पर कागज के गोले फेंके
- विपक्षी सांसदों का सभी बिलों पर चर्चा से इनकार

लोकसभा में बुधवार को भारी हंगामा देखने को मिला, जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीन विवादास्पद विधेयक सदन में पेश किए। ये विधेयक प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाने से जुड़े हैं, अगर वे किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिनों तक जेल में रहते हैं। शाह ने जैसे ही ये विधेयक पेश किए, विपक्षी सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने विधेयकों की प्रतियां फाड़कर शाह की तरफ फेंकी। इसके साथ ही वे नारेबाजी करते हुए सदन के बीच में पहुंच गए। गृहमंत्री शाह ने स्पष्ट किया कि ये विधेयक जल्दबाजी में नहीं लाए गए हैं और इन्हें संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेजा जाएगा, जिसमें सभी दलों के सांसद सुझाव दे सकेंगे।

शाह ने कहा, हम इतने बेशर्म नहीं हो सकते कि गंभीर आरोपों के बावजूद सांविधानिक पदों पर बने रहें। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। हंगामे के बीच लोकसभा को दोपहर तीन बजे तक स्थगित किया गया। जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो शाह ने कहा कि इन विधेयकों को 31 सदस्यों वाली जेपीसी को भेजा जाएगा, जो अगले संसद सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन विपक्षी के विरोध के चलते सदन को फिर शाम पांच बजे तक स्थगित करना पड़ा। ये तीन विधेयक केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2025; संविधान (130वां संशोधन)

5 साल+ सजा वाले अपराध में लागू होगा; सरकार बिल लाई, विपक्ष का विरोध, जेपीसी को भेजा

विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 हैं। इनका मकसद यह है कि अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार कर लगातार तीस दिनों तक जेल में रखा जाता है, तो 31वें दिन वे अपने पद से हटा दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने गिरफ्तारी के बावजूद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। एक विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री लगातार तीस दिनों तक किसी ऐसे अपराध के आरोप में हिरासत में रहता है, जिसकी सजा पांच साल या उससे अधिक हो सकती है, तो राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते, तो 31वें दिन के बाद वह व्यक्ति खुद-ब-खुद मंत्री पद से हटा हुआ माना जाएगा।

- विपक्ष ने इन विधेयकों को तानाशाही वाले और अलोकतांत्रिक बताया और भाजपा पर देश को पुलिस राज्य में बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये विधेयक पूरी तरह से तानाशाही वाले हैं और संविधान के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, अगर कल को किसी मुख्यमंत्री पर झूठा मुकदमा दर्ज कर उसे तीस दिन तक जेल में रखा जाए, तो वह अपने आप पद से हट जाएगा। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है।

असदुद्दीन ओवैसी और अभिषेक बनर्जी ने किया विरोध

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि भाजपा सरकार देश को पुलिस राज्य बनाना चाहती है। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा? हम इन विधेयकों का पूरा विरोध करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सरकार बिना किसी जवाबदेही के सत्ता, पैसा और नियंत्रण चाहती है। उन्होंने भी इन्हें तानाशाही वाले विधेयक

ममता का आरोप- 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारत में हमेशा के लिए लोकतंत्र को खत्म कर देगा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि यह आपातकाल से भी बड़ा कदम है और भारत में लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में तीन संविधान संशोधन विधेयक पेश किए हैं। इस विधेयक के तहत किसी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखने पर पद से हटाया जा सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने एक पोस्ट शेयर कर दावा किया कि प्रस्तावित कानून देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार द्वारा आज पेश किए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती हूं। मैं इसे एक ऐसे कदम के रूप में निंदा करती हूं जो किसी आपातकाल से भी बढ़कर है और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला कदम है। यह कठोर कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मृत्यु-घंटी है। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया, इस विधेयक का उद्देश्य एक व्यक्ति-एक दल-एक सरकार की व्यवस्था को मजबूत करना है। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को कुचलता है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक का हर कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए।